अति–आवश्यक
स्मरण–पत्र–।।।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 4(1)(315)पोषा/ICDS/2013/15897-929 जयपुर, दिनांक 22-1-18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :–पूरक पोषाहार (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 के प्रावधानों की पालना बाबत्।

सन्दर्भः–समसंख्यक पत्र क्रमांक 48050–82 दि. 28.03.2017, 54862–894 दि. 07.04.2017 एवं 5954–86 दि. 04.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा लेख है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 20.02.2017 को प्रकाशित की जा चुकी है।

पूरक पोषाहार (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 के नियम–8 के अनुसार यदि आंगनबाड़ी केन्द्र में लगातार तीन दिन अथवा एक माह में कम से कम पांच दिन भोजन प्रदान नही किया जाता है तो लाभान्वितो द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में दावा प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

अतः पूरक पोषाहार (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 के नियम–8 के अन्तर्गत लाभान्वितों द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ते हेतु दावा प्रस्तुत करने, दावे की जांच, पोषाहार वितरण नही होने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं लाभान्वितों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाने की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में आपसे सुझाव प्रेषित करने हेतु पूर्व में भी स्मरण पत्र दिया जा चुका है। परन्तु आदिनांक तक आप द्वारा सुझाव प्रेषित नही किये गये है। अतः आप अपने सुझाव अविलम्ब 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in